विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 12 जुलाई, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 53वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की बीसवीं (15वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 जुलाई, 07 को को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 341 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 130 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि इन अधिसूचित एसईजेड में 43123 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है तथा ये एसईजेड 35053 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वर्ष के अंत तक इन नए एसईजेड में करोड़ रुपए में निवेश और अतिरिक्त रोजगार दोनों की दृष्टि से आंकड़े 100000 के अंक को छू लेंगे। इसके बाद चर्चा के लिए बैठक का एजेंडा लिया गया।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और राज्य सरकार ने भी विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के अनुरोध की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ईपीआईपी, केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, गंजीमट्ट, मंगलौर, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए किनफोटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ईपीआईपी, केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, गंजीमट्ट, मंगलौर, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में किनफोटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी

/ आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम लांड्रा, मोहाली, पंजाब में 10.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए लार्क प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पिछली बैठक में भूमि की उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार से पुष्टि के अभाव में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। नोट किया गया कि अब पंजाब सरकार ने आवेदक के कब्जे में 10.89 हेक्टेयर (27.02 एकड़) भूमि होने की पुष्टि की है। बैठक में उपस्थित राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी भूमि पर कब्जा होने की पुष्टि की तथा प्रस्ताव के लिए अपनी सिफारिश से अवगत कराया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम लांड्रा, मोहाली, पंजाब में 10.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लार्क प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. नीनतपुर और जवाहरपुर, पंजाब में 10.60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सुखमणि टावर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नीनतपुर और जवाहरपुर, पंजाब में 10.60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुखमणि टावर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्राम घोडबंदर, मीरा रोड, तालुक और जिला थाणे, महाराष्ट्र में 13.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आरएनए बिल्डर्स का अनुरोध (क्रम संख्या 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। नोट किया गया कि पहले उक्त क्षेत्र के डीपी प्लान के अनुसार सड़कों का प्रस्ताव था और यह कि अब विकासक ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि प्रस्तावित भूमि संस्पर्शी है और तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम घोडबंदर, मीरा रोड, तालुक और जिला थाणे, महाराष्ट्र में 13.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आरएनए बिल्डर्स द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए निपियम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 17) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और यह कि सिंगापुर की कंपनी के साथ एसईजेड का विकास करने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में निपियम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. प्लाट नंबर पीएल-23, आईटी पार्क, बुटिबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 17.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सुयोग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 20) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने एमआईडीसी द्वारा पट्टा की अवधि को लेकर शंका व्यक्त की तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि एमआईडीसी द्वारा सभी पट्टे 95 साल की अवधि के लिए हैं। तद्नुसार, पट्टा की अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण को नोट करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर पीएल-23, आईटी पार्क, बुटिबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 17.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुयोग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. ग्राम नल्लमबक्कम, तालुक चेंगलपुट, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए यूनिटेक इंफोटेक लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नल्लमबक्कम, तालुक चेंगलपुट, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यूनिटेक इंफोटेक लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. मुंबई, महाराष्ट्र में 27.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। नोट किया गया कि गृह मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि उनकी स्वीकृति के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मुंबई, महाराष्ट्र में 27.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. कल्लाहल्ली और कटवाडीपुरा गांव, कसाबा होबली, नंजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ओप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वास्तव में एक ही विकासक द्वारा दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और यह कि एजेंडा में टंकण की चूक हुई है। उन्होंने सूचित किया कि नंजुनगुड तालुक, मैसूर में उनके कब्जे में 12.23 हेक्टेयर भूमि है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कल्लाहल्ली और कटवाडीपुरा गांव, कसाबा होबली, नंजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ओप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. आड़ासुर गांव, पल्लादम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 11.58.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए डू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आड़ासुर गांव, पल्लादम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 11.58.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. ग्राम पुटलमपल्ली, कुडप्पा मंडल, कुडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश में 21.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पुटलमपल्ली, कुडप्पा मंडल, कुडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश में 21.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. पेरुंदुरै, एरोडे जिला, तमिलनाडु में 106.55.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सिपकॉट का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पेरुंदुरै, एरोडे जिला, तमिलनाडु में 106.55.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सिपकॉट द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. दीमापुर, नागालैंड में 400 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एचएन कंपनी का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दीमापुर, नागालैंड में 400 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एचएन कंपनी द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. गांधीनगर, गुजरात में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गांधीनगर, गुजरात में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स

डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 107.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 1)

अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 107.49 हेक्टेयर भूमि का कब्जा ले लिया है जो क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि की तुलना में अधिक है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 107.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. द्रोणगिरि, महाराष्ट्र में 1250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए एनएमएसईजेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 2)

अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए एनएमएसईजेड के अनुरोध पर विचार किया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि विकासक के अनुरोध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव द्वारा बैठक बुलाई गई थी जिसमें मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त सहित सभी संगत विभाग उपस्थित थे। विस्तृत विचार विमर्श के बाद तथा बैठक में सभी प्रतिभागियों की संतुष्टि के अधीन राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी से अवगत कराने का निर्णय लिया है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि केवल ऐसी शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की जा सकती है जिनका उन्होंने प्रस्ताव किया है। तथापि, यह बताया गया कि अवसंरचना का सृजन होता रहता है, जबकि सन्निकटता स्थापित करने के उपाय विकासक द्वारा किए जाते हैं। तथापि, राजस्व विभाग की यह राय थी कि इससे ड्यूटी प्रदत्त और गैर ड्यूटी प्रदत्त सामग्रियों में घालमेल हो सकता है। तथापि, कहा गया कि चूंकि अधिसूचना में विलंब तथा अवसंरचना विकास में परिणामी विलंब परियोजना के समग्र हित के विपरीत हो सकता है जहां सिडको जो महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम है, भी हितधारक है, ड्यूटी प्रदत्त तथा गैर ड्यूटी प्रदत्त सामग्रियों के समुचित भंडारण, पृथक्करण और लेखांकन के लिए विकास आयुक्त तथा मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा कोई उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने द्रोणगिरि,

महाराष्ट्र में 1250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एनएमएसईजेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया :

(क) सन्निकटता की शर्त में ढील प्रदान की गई है तथा यह शर्त रखी गई है विकासक मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार डेडीकेटेड सिक्योरिटी गेट / ओवर ब्रिज / अंडर पास के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करेगा तथा रेलवे ट्रैक और सड़क के दोनों ओर 2.4 मीटर ऊंची फैंसिंग / चेन लिंक फैंसिंग का निर्माण करेगा तथा 0.6 मीटर की कटीले तार की फैंसिंग भी करेगा।

(ख) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(ग) वाणिज्य विभाग को रेल मंत्रालय, एनएचएआई तथा अन्य प्राधिकरणों से औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब रेलवे एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

(घ) यह कि एनएमएसईजेड में किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

(ङ) एनएमएसईजेड में ड्यूटी पेड तथा गैर ड्यूटी पेड सामग्रियों के समुचित भंडारण, पृथक्करण तथा लेखांकन के लिए मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त के परामर्श से विकास आयुक्त द्वारा उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाएगा।

19. संबलपुर, उड़ीसा में 115.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। विकासक ने संबलपुर, उड़ीसा में 855 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, उन्होंने सूचित किया कि संस्पर्शी भूमि केवल 115.70 हेक्टेयर है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि 285.91 एकड़ (115.70 हेक्टेयर) संस्पर्शी भूमि पर विकासक का कब्जा है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने संबलपुर, उड़ीसा में केवल 115.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 588 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए मंगलौर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने 694 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पेट्रोकेमिकल एवं पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मंगलौर एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि केवल 588 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 588 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. टिकरी, गुड़गांव, हरियाणा में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध II का क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि 10.52 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने टिकरी, गुड़गांव, हरियाणा में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए निर्णय :

1. हावलीबागन, रानीहाटी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्षेत्र विशिष्ट फाउंड्री एसईजेड स्थापित करने के लिए इंडियन फाउंड्री एसोसिएशन का अनुरोध (क्रम संख्या 8) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि अपेक्षित मात्रा में भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हावलीबागन, रानीहाटी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में 101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंडियन फाउंड्री एसोसिएशन द्वारा क्षेत्र विशिष्ट फाउंड्री एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण और फ्लोरीकल्चर सहित जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण और फ्लोरीकल्चर सहित जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. अंजार तालुक, जिला भुज, गुजरात में 1011.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध I का क्रमांक 3) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कंपनी का निवल मूल्य 754 करोड़ रुपए है। तथापि, चूंकि अपेक्षित मात्रा में भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं था, इसलिए राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अंजार तालुक, जिला भुज, गुजरात में 1011.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध I का क्रमांक 4) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. चेयार सिपकॉट औद्योगिक पार्क, चेयार तालुक, तिरुवन्नमलै जिला, तमिलनाडु में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में व्यापार एवं लाजिस्टिक की गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध I का क्रमांक 9) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चेयार सिपकॉट औद्योगिक पार्क, चेयार तालुक, तिरुवन्नमलै जिला, तमिलनाडु में 120 हेक्टेयर के

क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) द्वारा व्यापार एवं लाजिस्टिक की गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. नंदागुडी होबली, होसकोट तालुक, कर्नाटक में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विकासक ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपेक्षित मात्रा में भूमि की शिनाख्त कर ली है और तद्नुसार वे अब केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सिफारिश कर रहे हैं। समूची भूमि विकासक द्वारा क्रय की जाएगी तथा राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासक एसईजेड के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय सभी एहतियात बरते। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य रूप से बंजर एवं ऊसर भूमि और आवश्यक होने पर केवल एक फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। तथापि, यदि विशेष रूप से क्षेत्रफल संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के कुछ भाग का अधिग्रहण करना पड़े, तो यह एसईजेड के लिए कुल अधिग्रहीत भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने नंदागुडी होबली, होसकोट तालुक, कर्नाटक में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. महादेवपुरा, के आर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 2) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए विकासक को एसईजेड के भूमि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने होंगे। राज्य सरकार को इस परिवर्तन की जांच करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी और इसलिए आस्थगन का अनुरोध किया गया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. त्रिवेणी नगर, बडक्कापट्टू, डाकघर सिंगापेरुमल कोली चेंगलपट्टू, चेन्नई, तमिलनाडु में 42.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए ब्लू विजन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 3) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस परियोजना पर उनको कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और इसलिए आस्थगन का अनुरोध किया गया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. पीतमपुरा रोड के पास, एयरपोर्ट के पीछे, रिगलोय, बिसनवाडा, नैनूद, नवादापार्थ (भाग) और सिनहासा (भाग) सहित, इंदौर, मध्य प्रदेश में 810 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. ग्राम लोनीकांड, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सिद्धिविनायक नालेज सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 6) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. जिला कृष्णागिरि, तमिलनाडु में 74.5 हेक्टेयर (आवेदन 120 हेक्टेयर के लिए किया था) के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट एंड क्रॉम्प्टन इंजीनियरिंग लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 16) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अगली बैठक तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम खैरीवली, वाडा तालुक, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 27.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सलोनी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 18) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि विकासक से कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. गंडराजूपल्ले और पेड्डाचेल्लारजुंता गांव, गंगावरम मंडल एवं बैरेड्डीपल्ले, पालमनेरू, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में 211 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए वृंदावन टेक्सटाइल पार्क एसईजेड लिमिटेड (वीटीपीएसएल) का अनुरोध (क्रम संख्या 19) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स संचुरी एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध I का क्रमांक 5) :

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

9. नोएडा, उत्तर प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लास्टिक उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एशिया पैसिफिक कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध I का क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक के निवल मूल्य के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

10. लोलियम, कैनकोना तालुक, गोवा में 225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि गोवा में सरकार बदली है और गोवा में सरकार की संशोधित सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

11. उत्तर गाजीपुर, दक्षिण 24 परगाना (पहले कल्याणी एक्सप्रेसवे), पश्चिम बंगाल में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए एनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 2(5))

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे आईटी विभाग से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा

मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(क) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक के निवल मूल्य के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ख) चंडका औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर, खुर्द, ओडिशा में ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (इडको) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स जेनपैक्ट इनफ्रास्ट्रक्चर (भुवनेश्वर) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने चंडका औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर, खुर्द, ओडिशा में ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (इडको) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स जेनपैक्ट इनफ्रास्ट्रक्चर (भुवनेश्वर) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ग) डूंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड (तत्कालीन आईएसटी लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि के अनुरोध पर, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(घ) हाडपसर, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स सीरम बायो फर्मा पार्क एसईजेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बायोटेक एवं फर्मा एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक का निवल मल्य ज्ञात नहीं है। राज्य सरकार को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(क) विलानकुरुची, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए एलकॉट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रफल में 10.83 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए एलकॉट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 22.59 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 5 : 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स पालमोन एक्सपोर्ट्स, केएएसईजेड का अनुरोध

मद संख्या 6 : 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स आल फेयर डील्स इंटरनेशनल, कांडला एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 5 साल की अगली अवधि के लिए मंजूरी पत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए मैसर्स पालमोन एक्सपोर्ट्स, केएएसईजेड के अनुरोध पर विचार किया। विकासक को प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि यह यूनिट निवल विदेशी मुद्रा अर्जन प्राप्त कर रही है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सभी संगत ब्यौरों जैसे कि किए जा रहे आयात के ब्यौरों, भौतिक निर्यात की मात्रा, मात्रा की दृष्टि से डीटीए में बेचने के लिए प्रस्तावित मदों की प्रकृति आदि के ब्यौरों के साथ अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में विचार करने के लिए मद संख्या 5 एवं 6 के दोनों प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया। विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र से इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए कहा गया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि स्थानीय कस्टम भी रिपोर्ट प्रदान करें जिस पर अगली बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा करते समय विचार किया जा सकता है।

परिशिष्ट

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 12 जुलाई, 2007 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री जी के पिल्लई, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष
2. श्री देवेंद्र दत्त, सदस्य (सीबीईसी), राजस्व विभाग
3. श्री एम विनोद कुमार, एडीजी (ईपी), सीबीईसी
4. श्री राव रणविजय सिंह, सदस्य (आईटी), सीबीडीटी
5. श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए), सीबीडीटी
6. श्री गुरदीप सिंह, अपर निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग
7. श्री आरएम यादव, सहायक निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग
8. श्री आर जे शाह, प्रधान मुख्य औद्योगिक सलाहकार, उद्योग आयुक्त गांधीनगर, गुजरात
9. श्री संजय कुमार, सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), पंजाब सरकार
10. श्री के राजारमन, विशेष सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार
11. श्री बी साम्बो, प्रमुख सचिव (उद्योग और वाणिज्य), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
12. श्री वी के जयरथ, प्रधान सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र
13. श्री भाष्कर खुलबे, सलाहकार (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार
14. डॉ राज कुमार खत्री, आयुक्त (औद्योगिक विकास), कर्नाटक सरकार
15. डी मुरलीधर रेड्डी, ईडी, आंध्र प्रदेश
16. श्री डीआर धींगरा, डीआईसी, हरियाणा
17. श्री एस के भल्ला, रेजीडेंट आयुक्त, नागालैंड सरकार
18. श्री बी के पटेल, प्रबंधक (एसईजेड), उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, भुवनेश्वर, उड़ीसा
19. श्री बी एस कृष्ण प्रसाद, रेजीडेंट निदेशक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली
20. श्री एस के अग्रवाल, सहायक निदेशक, एमएसएमई का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय
21. श्री शमशेर सिंह, अपर आयुक्त, कृषि मंत्रालय
22. श्री वाई रमेश, टाउन एंड कंट्री प्लानर, शहरी विकास मंत्रालय, टीसीपीओ, नई दिल्ली
23. श्री बाबू चेरियन, अवर सचिव (आईबी एंड एफएस), प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय
24. श्री एस एन जिंदल, डीजी, एसटीपीआई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
25. श्रीमती चित्रा नारायण, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
26. श्री वी पी सिंह तोमर, सीनियर साइंटिस्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
27. श्री संजय रस्तोगी, निर्यात आयुक्त, डीजीएफटी का कार्यालय
28. श्री एल बी सिंघल, महानिदेशक, ईपीसीईएस

विकास आयुक्त

29. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
30. श्री बी विजयन, विकास आयुक्त, एमईपीजेड, चेन्नई, तमिलनाडु
31. श्रीमती एन सग्गी, विकास आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र
32. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड
33. श्री डॉ. एम वी सुब्बा रेड्डी, जेडीसी, वीएसईजेड
34. श्री अरुण कुमार बिट, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड
35. श्री एस के बंसल, विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड

वाणिज्य विभाग

36. श्री आर गोपालन, अपर सचिव,, वाणिज्य विभाग
37. श्री अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
38. श्री योगेन्द्र गर्ग, निदेशक, वाणिज्य विभाग - सदस्य सचिव
39. श्री पी वी शिवरामन, उप सचिव, वाणिज्य विभाग
40. श्रीमती बी रवींद्रन, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग